

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक: एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला/2017/4804-29 जयपुर, दिनांक 15.7.17

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तोडगढ़, चूरू,
जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, नागौर,
पाली, राजसमंद एवं उदयपुर (राज०)।

विषय:- अभाव संवत् 2073 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों में अवस्थित पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को राहत सहायता स्वीकृत करने के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.1(4) आ.प्र.एवं सहा./सामान्य/2016/14608-40 दिनांक 30.11.2016 से आपके जिले के प्रभावित गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। यह अवधि 15.07.2017 तक प्रभावी रहेगी। अभाव संवत् 2073 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों में अवस्थित पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु भारत सरकार के पत्रांक 32-7/2014 दिनांक 08.04.2015 को जारी राज्य आपदा मोर्चन निधि (SDRF) के संशोधित मानदण्डों के अनुसार राहत सहायता हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

गौशालाओं के लिए राहत सहायता स्वीकृत करने के विस्तृत दिशा-निर्देश सहायता निर्देशिका के अध्याय -6 बिन्दु स.6.1 से 6.3.4 में अंकित है।

इस सम्बन्ध में निम्न दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे:-

- जिला कलेक्टर विभागीय दिशा-निर्देश जारी होने के उपरान्त दिनांक 05.05.2017 से 30.6.2017 तक एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार पंजीकृत गौशालाओं के ऑनलाईन प्राप्त प्रस्तावों की ही राहत सहायता स्वीकृत करेंगे, ऑफ लाईन प्राप्त प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।
- इस प्रक्रिया के तहत पंजीकृत गौशाला संचालकों द्वारा राहत सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए 'www.sso.rajasthan.in' पर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात विभागीय एप्लीकेशन "dmrd" के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। विभागीय एप्लीकेशन पर ऑनलाईन आवेदन दिनांक 05.05.2017 को प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भ किया जावेगा। पंजीकृत गौशालाओं को आवेदन करते समय पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं शपथ-पत्र (प्रारूप संलग्न) पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना आवश्यक है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त आवेदन को सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा एक सप्ताह के भीतर पशु संख्या का प्रमाणीकरण एवं आवेदन-पत्र की जांच कर अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव जिला कलेक्टर को ऑनलाईन ही अग्रप्रेषित करेंगे। यदि तहसीलदार गौशाला के आवेदन की तहसील में प्राप्ति तिथि से एक सप्ताह के भीतर जांच कर प्रस्ताव का निस्तारण/जिला कलेक्टर को प्रेषित नहीं करता है तो जिला कलेक्टर विलम्ब के लिए तहसीलदार की जिम्मेदारी तय कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे तथा की गई कार्यवाही से विभाग को सूचित करेंगे।
- जिला कलेक्टर तहसीलदारों से ऑनलाईन प्राप्त प्रस्तावों को प्राप्ति दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित गौशाला को एक माह की अवधि के लिए राहत सहायता की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे। विभाग स्तर से प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जावेगी। एक सप्ताह में प्रकरण का निस्तारण नहीं होने की स्थिति में



सॉफ्टवेयर द्वारा प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही ब्लॉक हो जायेगी। समय पर (एक सप्ताह के भीतर) प्रस्ताव का निस्तारण नहीं करने के कारण जिला कलेक्टर या सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिला कलेक्टर अभावग्रस्त जिलों में अवस्थित पंजीकृत गौशालाओं को विभागीय दिशा—निर्देशों के अनुसार गौशाला राहत सहायता की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करना प्रारम्भ करेंगे, परन्तु 30 जून, 2017 के पश्चात् गौशाला राहत सहायता की कोई भी स्वीकृति जारी नहीं करेंगे।

4. जिला कलेक्टर कार्यालय में तहसील से गौशाला राहत सहायता प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त प्रस्ताव का निस्तारण/स्वीकृति जारी करेंगे। यदि जिला कलेक्टर द्वारा तहसील से प्राप्त प्रस्ताव का एक सप्ताह के भीतर निस्तारण नहीं किया जाता है तो एक सप्ताह के पश्चात् उक्त लम्बित/ब्लॉक हुए प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही की सूचना एवं विलम्ब के कारणों सहित प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु विभाग को प्रेषित करेंगे व विभाग विलम्ब के औद्यित्य का परीक्षण कर प्रस्ताव के स्वीकृति/निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत करेगा।
5. प्रथमतः गौशाला राहत सहायता हेतु स्वीकृति 30 दिन की अवधि के लिए जारी की जावे, यदि उक्त 30 दिन की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक हो तो जिला कलेक्टर उक्त 30 दिवस की अवधि समाप्ति से एक सप्ताह पूर्व ही अपने प्रस्ताव स्पष्ट अनुशंसा सहित विभाग को प्रेषित करेंगे। जिसे अभाव अवधि की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2017 तक एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार राज्य कार्यकारी समिति द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।
6. राज्य कार्यकारी समिति द्वारा गौशालाओं को राहत सहायता भुगतान की प्रक्रिया को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया गया कि गौशाला को राहत सहायता किसी भी परिस्थिति में तहसीलदार के प्रथम निरीक्षण से देय नहीं होगा। जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति की दिनांक से ही राहत सहायता का भुगतान किया जावेगा।
7. पंजीकृत गौशाला की अन्यत्र संचालित शाखा को राहत सहायता स्वीकृति के लिये मान्य नहीं किया जावे।
8. जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर जारी की गई स्वीकृति को संदर्भित करते हुए सविवरण बजट की ऑन लाईन मांग विभाग को प्रस्तुत की जाएगी। विभाग द्वारा बजट आवंटन के पश्चात् यथा प्रक्रिया समुचित प्रमाणीकरण के पश्चात् जिला कलेक्टर द्वारा राहत सहायता का भुगतान किया जाएगा।
9. **सहायता दर-**
सहायता निर्देशिका के बिन्दु संख्या 6.2.6 में संशोधन अनुसार गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं में बड़े पशु हेतु ₹70 तथा छोटे पशु हेतु ₹35 प्रति पशु प्रतिदिन की दर से राहत सहायता देय होगी।
10. **पशु आहार-**
 - (1) निर्धारित दर से राहत सहायता उसी स्थिति में स्वीकृत किया जावे, जबकि गौशाला संचालकों द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ-साथ कमशः 1 कि. ग्रा. पशु आहार बड़े पशुओं हेतु तथा 1/2 कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्धारित मात्रा में पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो आर.सी.डी.एफ./राजफैड की प्रचलित बाजार दर से पशु आहार की राशि बड़े पशु तथा छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष रही राशि ही राहत सहायता स्वरूप स्वीकृत की जावे।
 - (2) आर.सी.डी.एफ./राजफैड द्वारा निर्मित अथवा राजफैड/आरसीडीएफ द्वारा क्य कर आपूर्ति किया गया पशु आहार उपलब्ध कराये जाने पर ही राहत सहायता देय होगी।

11. निरीक्षण मापदण्ड—

राहत सहायता हेतु अनुमत सभी गौशालाओं का माह में एक बार जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावें। निरीक्षण के लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित हैं:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	न्यूनतम निरीक्षण	कार्य क्षेत्र
1.	तहसीलदार / विकास अधिकारी	25 प्रतिशत	तहसील / पं. समिति
2.	उपखण्ड अधिकारी	10 प्रतिशत	उपखण्ड
3.	अति. जिला कलेक्टर / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सम्मिलित रूप से)	5 प्रतिशत	जिला
4.	जिला कलेक्टर	यथासम्भव अधिकारी	जिला
5.	पशुपालन / चिकित्सा के आधिकारी	प्रत्येक गौशाला, माह में 2 बार	तहसील / पं. समिति

- (i) ऐसी पंजीकृत गौशालाओं की संचालन समिति में जिला कलेक्टर द्वारा सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे तथा यह निर्देशित किया जावे कि गौशाला संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की सूचना ऐसे प्रतिनिधि को समय पर दी जावे एवं वित्तीय प्रकृति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जावे, जिसमें जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो।
- (ii) गौशाला के लेखे जोखे सही एवं भली प्रकार से संधारित कराये जावें। गौशालाओं में निम्न लिखित रजिस्टरों का संधारण कराया जावें।:-

- क. खरीद एवं स्टॉक रजिस्टर
- ख. पशुओं का रजिस्टर
- ग. दैनिक खर्च रजिस्टर
- घ. दैनिक खर्च का हिसाब

- (iii) जिला कलेक्टर, जिला पशु पालन अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि गौशालाओं के पशुओं का सही प्रकार से पोषण किया जा रहा है।

- 12. गौशाला राहत सहायता स्वीकृत हो जाने के उपरान्त जिला कलेक्टर विभाग को निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक 10 दिवसों में उक्त गतिविधि में हुई प्रगति से अवगत करायें।
- 13. यदि पंजीकृत गौशाला के खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण उपरान्त ही राहत सहायता स्वीकृत की जावे।
- 14. यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत पंजीकृत गौशालाओं में पशु वृद्धि के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर के स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान पशुओं की संख्या, पानी की व्यवस्था, चारा खिलाने की व्यवस्था, संधारित रजिस्टरों व अन्य सुविधाएं जो विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार सही पाये जाने के उपरान्त पशु बढ़ोत्तरी के प्रस्तावों की अनुशंशा जिला कलेक्टरों को करें तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुशंशा से स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जावे।
- 15. स्वीकृत गौशालाओं का विभाग/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण / विडियो ग्राफी करवायी जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जाने पर



सम्बन्धित संस्था/सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जावेगी।

16. दिशा—निर्देशों की प्रति सम्बन्धित माननीय विधायक को भी प्रेषित की जावे।
17. अभावग्रस्त जिलों में संचालित पंजीकृत गौशालाओं को राहत सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन करने हेतु उचित माध्यम द्वारा सूचित करना भी सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से,



शासन उप सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, गोपालन विभाग, राज., जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0., जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
8. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर।
9. निजी सचिव, समस्त जिलों के प्रभारी सचिव।
10. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
12. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
13. गार्ड फाईल।



शासन सहायक सचिव

शपथ पत्र/बन्ध पत्र का (Affidavit/Bond) प्रारूप

मैं पुत्र/पुत्री उम्र.....

निवासी तहसील जिला का निवासी हूं। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि

1. मेरी संस्था का नाम एवं संस्था का पंजीयन संख्या
यह है।
2. मेरी गौशाला/पशुशिविर के संचालन का स्थान तहसील का नाम
जिले का नाम यह है।
3. मैं इस गौशाला/पशु शिविर का पिछले वर्षों से संचालन कर रहा हूं मेरी गौशाला/पशुशिविर में वर्तमान में बड़े छोटे कुल पशु संधारित है।
4. मुझे ज्ञात है कि जिला कलेक्टर/राज्य स्तर से पशु शिविर/गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण वीडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।
5. मैं भलीभांति परिचित हूं कि आकस्मिक निरीक्षण/वीडियोग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी/अनियमितता पायी जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
6. मैं पशु शिविर/गौशाला की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूंगा।
7. जिले द्वारा समय-समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्णतः पालना करूंगा।

शपथग्रहिता

मैं पुत्र/पुत्री उम्र.....

निवासी शपथपूर्वक बयान करता हूं कि उपर्युक्त संख्या 1 से 6 तक दिया गया विवरण सत्य है।

शपथग्रहिता